

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 29, बुधवार, शाके 1947- अगस्त 20, 2025 <i>Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2025

संख्या:23/भू.अ./ज.स./2025/1246-1250:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ खारी फिडर की क्षमता संबंधन के अलाइमेंट में आने वाले खसरों की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा/राजसमन्द होंगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, राजसमन्द।

खारी फिडर की क्षमता संबंधन के अलाइमेंट में आने वाले खसरों की भूमि के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 नियम-2016 की धारा-4 (1) की कार्यवाही बाबत।

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	खारी फिडर की क्षमता संबंधन कार्य	परावल	परावल	नाथद्वारा	उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
2		बागोल	बागोल	नाथद्वारा	
3		कोटेला	कोटेला	नाथद्वारा	
4		धांयला	धांयला	नाथद्वारा	

5		धांयला	गुडला	नाथद्वारा	
6		सूरत सिंह जी की भागल	सूरत सिंह जी की भागल	नाथद्वारा	
7		बडारडा	म्जा	राजसमन्द	उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
8		वेर	वेर	राजसमन्द	
9		पीपरडा	पीपरडा	राजसमन्द	
10		मूण्डोल	मूण्डोल	राजसमन्द	
11		सुन्दरचा	देवथडी	राजसमन्द	
12		सुन्दरचा	सुन्दरचा	राजसमन्द	
13		मूण्डोल	डिप्टी खेड़ा	राजसमन्द	
14		मूण्डोल	डिप्टी	राजसमन्द	
15		मूण्डोल	टुकडा खुर्द	राजसमन्द	
16		सनवाड	सनवाड	राजसमन्द	
17		पसून्द	मोरचना	राजसमन्द	
18		पसून्द	सादुर्ल का खेड़ा	राजसमन्द	
19		सरंकेला	सरंकेला	राजसमन्द	
20		फरारा	चिन्तामणी का मादडा	राजसमन्द	
21		बोराज का खेड़ा	बोराज का खेड़ा	राजसमन्द	
22		पसून्द	पसून्द	राजसमन्द	

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, राजसमन्द
(ख)	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	खारी फिडर की क्षमता संबंधन के अलाइमेंट में आने वाले छुटे हुए खसरों की भूमि ग्राम परावल, बागोल, कोटेला, धायला, गुडला, सूरत सिंह की भागल, मजा, वेर, पिपरडा, मुण्डोल, देवथडी, सुन्दरचा, डिप्टी खेड़ा, डिप्टी, टुकडा खुर्द,

		सनवाड, मोरचना, सादुर्ल का खेड़ा, सर्केला, चिंतामणि का मादडा, वोरज का खेड़ा, पसुन्द में अवाप्त की जाने वाली भूमि के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 नियम-2016 की धारा 4(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि कुल 13.8228 हैक्ट.
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक समाघात की आवश्यकता नहीं है।
(घ)	यदि ग्राम सभा और/ भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(ङ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	आवश्यकता नहीं है।
(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	आवश्यकता नहीं है।

मुकेश कुमार गुप्ता,

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।